National Cancer Control Programme

1913. SHRI ANANTA SETHI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government have launched National Cancer Control Programme;

(b) whether the programme has been launched in every State; and

(c) if not, the details of specific afforts made by Government to provide adequate treatment to cancer patients in the country?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI DALIT EZHILMALAI): (a) to (c) Yes, Sir. National Cancer Control Programme is in existance since 1975. Under this Programme, financial assistance is provided for the following schemes, applicable to every State:—

1. Regional Cancer Centres. Rs. 75.00 lakhs per annum
2. Development of Oncology Wings in Medical College Rs. 2.00 crores each.
3. Installation of Cobelt-60 teletherapy unit. Rs. 1.50 crores to Government in situations and Rs. 1.00 crore Non-Governmental Organisations.
4. District Cancer Control Programme. Rs. 15.00 lakhs for first year and Rs. 10.00 lakhs each for the next four years.
5. Awareness and Early Detection—Rs. 5.00 lakhs as one time grant given to NGO's

There are 12 Regional Cancer Centres in the country which are providing treatment facilities to cancer patients and also doing research work. The list of 12 Regional Cancer Centres is enclosed as "Statement"

Statement

List of Regional Cancer Centres

1. Kidwai Memorial Institute of Oncology, Banglore (Karnataka).
2. Gujarat Cancer & Research Institute, Ahmedabad (Gujarat).
3. Cancer Hospital Research Institute, Gwalior (Madhya Pradesh).
4. Cancer Institute, Madras (Tamil Nadu)
5. Regional Cancer Centre, Trivandrum (Kerala)
6. Regional Centre for Cancer Research and Treatment Society, Cuttack (Orissa).
7. Dr. B.B. Cancer Institute, Guwahati (Assam).
8. Chittaranjan National Cancer Institute, Calcutta (West Bengal)
9. Institute Rotary Cancer Hospital, (AIIMS), New Delhi.
10. Tata Memorial Hospital, Bombay (Maharashtra).
11. Kamala Nehru Memorial Hospital, Allahabad (Uttar Pradesh).
12. MNOIO, Hyderabad (Andhra Pradesh).

बाजार में एसपरटेम से मिश्रित पाउडर

1914. **श्री मुनव्वर हसन:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के कुछ अधिकारियों की सांठ-गांठ की वजह से प्रतिबंधित खतरनाक एसपरटेम के साथ मिला हुआ पाउडर देश के बाजारों में पहुंच गया है,

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है या किये जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) से (ग) एसपरटेम कृत्रिम मिठास पैदा करता है और इसकी अनुमति केवल कार्बोनेटेड जल और साफ्ट ड्रिंक कनसेंट्रेट में अधिकतम 700 पी० पी० एम० के स्तर तक अनुमत्य है। इसे टेबल टॉप स्वीटनर के रूप में भी बेचा जा सकता है।

केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर ने किसी भी खाद्य पदार्थ पाउडर में एसपरटेम होने का पता नहीं लगाया है। केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, गाजियाबाद की रिपोर्ट के अनुसार हवाई पत्तन स्वास्थ्य प्राधिकारी पालम हवाई अड्डा, दिल्ली से प्राप्त पाउडरयुक्त आहार के आयातित छह नमूनों में एसपरटेम पाया गया था।

(घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों, सरकारी विश्लेषकों और केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशालाओं को सलाह दी गई है कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्रोटीनयुक्त भोजन/पूरक आहार/स्वास्थ्य सम्बन्धी खान-पान ऐसे संयोजी/कृत्रिम मिठास वाले पदार्थों से मुक्त हों, जो खाद्य-उपमिश्रण निवारण, नियमावली, 1955 के अन्तर्गत विशिष्ट रूप से अनुमत्य नहीं है।

Shortage of Medicines in Government Hospitals in Delhi

1915. SHRIMATI BASANTI SARMA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government have received several complaints from the people, indicating that most of the essential medicines and syringes/needless are not available to partients in all the Government Hospitals of Delhi and patients are compelled to purchase the same from the open market;

(b) if so, the action taken by Government against the concerned MSs of the Hospitals; and

(c) the effective direction being sent to each Government Hospital by Government with a view that patients are not unduly harassed?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI DALIT EZHILMALAI): (a) to (c) Only two complaints have been received by Safdarjung Hospital regarding the non-availability of anti-Diarrhoeal drug and Mezetol Tabs in Safdarjung Hospital. These drugs are now available.

हिमाचल प्रदेश में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधा

1916. **श्री अनिल शर्मा:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने किन-किन राज्यों में और कौन-कौन से स्थानों पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधा उपलब्ध करवाई है तथा इसके लिए कौन-कौन से प्रबंध किये गये है; और

(ख) हिमाचल प्रदेश में ऐसे कौन-कौन से अस्पताल हैं जहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों को मान्यता प्राप्त निजी/सरकारी/संबद्ध अस्पतालों में उपचारार्थ भेजने की सुविधाएं उपलब्ध है, यदि नहीं, तो क्या सरकार इस संबंध में प्रावधान करने कर विचार कर रही है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है:—

	राज्य का नाम	स्थान
1.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद
		कानपुर
		लखनऊ
		मेरठ
2.	मध्य प्रदेश	जबलपुर
3.	बिहार	पटना
		रांची
4.	महाराष्ट्र	मुम्बई
		नागपुर
		पुणे
5.	गुजरात	अहम्दाबाद
6.	दिल्ली	दिल्ली
7.	कर्नाटक	बंगलौर